

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्य मंत्री घोषणा संख्या 1710/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत लछैर से कटियानी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

जिला स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

जिला पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री घोषणा संख्या 1710/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत लछैर से कटियानी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 5.60 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 5.60 हे० वन भूमि) का प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कनालीछीना) की दिनांक 10.07.09 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री वी.के. जोगेंडे जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री वी.के. जोगेंडे जिलाधिकारी पिथौरागढ़ अध्यक्ष
- 2- श्री ~~हार्दिक~~ ~~मार्ग~~ - प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य
- 3- श्रीमति मंजूला देवी पत्नी श्री महेन्द्र सिंह ग्राम सिर्दाग धारचूला जिला पंचायत सदस्य
- 4- श्री कमलेश आर्या पुत्र श्री प्रेम राम ग्राम जैती विकास खण्ड मुनस्यारी जिला पंचायत सदस्य
- 5- श्री अमर बहादुर चन्द पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द ग्राम दुतीबगड जौलजीबी विकास खण्ड धारचूला जिला पंचायत सदस्य
- 6- श्री ~~दे.के. शर्मा~~ - जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य/सचिव

जिला सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि माननीय मुख्य मंत्री घोषणा संख्या 1710/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत लछैर से कटियानी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना हेतु 5.60 हे० वन भूमि प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से जिला पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री घोषणा संख्या 1710/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत लछैर से कटियानी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 5.60 हे० वन भूमि प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

जि० पं० सदस्य
सिर्दाग 01

जिला समाज कल्याण अधिकारी
पिथौरागढ़

जि० पं० सदस्य
उ०००-5

अमरेश शर्मा
जिला सचिव
पिथौरागढ़
(आचार्य)

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
No---

Office of the District Collector Pithoragarh

Dated-14.07.19

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **5.60** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Public Work Department** for in **Pithoragarh** district falls within jurisdiction of Kharkgaon, Setigaon, Gaadgaon, Giradi, Baskhet, Patkeshwar, Serad, Mankot village (s) in **Knalichina (Pithoragarh)** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the **entire 5.60** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ~~392~~ to ~~394~~ annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.



विभागाधिकारी
पिथौरागढ़

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT PITHORAGARH(U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Pithoragarh** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss **Vijay Kumar Jodandei** A.S deputy commissioner, **Pithoragarh** on dated **10.07.09** at time **5.00** at **Pithoragarh** in which application claiming rights in **Pithoragarh** area measuring **5.60** hect for the construction of Lachair to Katyani Motor Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place, **Pithoragarh**.

Dated: **10.07.09**


Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्य मंत्री घोषणा सं० 1710/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडिहाट के अन्तर्गत लछैर से कटियानी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

उपखण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री घोषणा सं० 1710/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडिहाट के अन्तर्गत लछैर से कटियानी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 5.60 हे० सिविल सोयम वन भूमि 0.00 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 5.60 हे० वन भूमि) का प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पिथौरागढ़) की दिनांक ~~26/03/2019~~ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2001 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ~~तुषार अग्नि~~, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | | |
|----|------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| 1- | श्री तुषार अग्नि | उपजिलाधिकारी | पिथौरागढ़ | अध्यक्ष |
| 2- | श्री पुष्पा अग्नि | उप प्रभागीय वनाधिकारी | पिथौरागढ़ | सदस्य |
| 3- | श्री मिश्र अग्नि | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | पिथौरागढ़ | सदस्य / सचिव |
| 4- | श्री पुष्पा अग्नि | बी०डी०सी० क्षेत्र | पिथौरागढ़ | सदस्य |
| 5- | श्री मनोज कुमार | बी०डी०सी० क्षेत्र | पिथौरागढ़ | सदस्य |
| 6- | श्री आशीष कुमार | बी०डी०सी० क्षेत्र | पिथौरागढ़ | सदस्य |
| 7- | श्री पुष्पा अग्नि | बी०डी०सी० क्षेत्र | पिथौरागढ़ | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि माननीय मुख्य मंत्री घोषणा सं० 1710/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडिहाट के अन्तर्गत लछैर से कटियानी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना हेतु 5.60 हे० वन भूमि प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री घोषणा सं० 1710/2015 व अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडिहाट के अन्तर्गत लछैर से कटियानी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना हेतु 5.60 हे० वन भूमि प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी र अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
जनपद/ तहसील-पिथौरागढ़

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
डीडिहाट
पिथौरागढ़ वन विभाग



परियोजना का नाम :- मा0मु0मंत्री घोषणा सं0 1710/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत लछैर कटियानी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम **खर्कदीली (खर्कगांव)**
तहसील **पिथौरागढ़**, जिला **पिथौरागढ़**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में मा0मु0मंत्री घोषणा सं0 1710/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत लछैर कटियानी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु (~~0.00~~ हे0 आरक्षित वन भूमि, **5.60** हे0 सिविल सोयम भूमि, ~~0.00~~ हे0, वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल **5.60** हे0 वन भूमि का प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागढ़ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **खर्कदीली** द्वारा दिनांक **11/05/2018** को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **खर्कदीली (खर्कगांव)** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / 
ग्राम पंचायत **खर्कदीली**
मुखर सहित

ग्राम प्रधान **खर्कदीली**

ह0 / 
ग्राम पंचायत **खर्कदीली**
मुखर सहित

ग्राम प्रधान **खर्कदीली**

सरपंच ललित खन्का
वन पंचायत
गाडगांव

प्रारूप-30.4

दिनांक 11/05/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत खर्कदोली (खडगाँव)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	महिपाल सिंह	महिपाल सिंह
2-	जो विन्द सिंह	जो विन्द सिंह
3-	रजिन्द्र सिंह	रजिन्द्र सिंह
4-	रबीप्रा देवी	रबीप्रा देवी
5-	पार्वती देवी	पार्वती देवी
6-	गीता देवी	गीता देवी
7-	पूरन सिंह	पूरन सिंह
8-	जगत सिंह	जगत सिंह
9-	रमेश सिंह	रमेश सिंह
10-	रविन्द्र सिंह	रविन्द्र सिंह
11-	रविका सिंह	रविका सिंह
12-	रघुपति सिंह	रघुपति सिंह
13-	प्राण सिंह	प्राण सिंह
14-	मान सिंह	मान सिंह
15-	राज सिंह	राज सिंह
16-	मान सिंह	मान सिंह
17-	पुष्कर सिंह	पुष्कर सिंह
18-	मान सिंह	मान सिंह
19-	निर्मला देवी	निर्मला देवी
20-	समय सिंह	समय सिंह
21-	विता गुरंग	विता गुरंग
22-	कोमल गुरंग	कोमल गुरंग
23-	विनोद गुरंग	विनोद गुरंग
24-	ज्योती गुरंग	ज्योती गुरंग
25-	मागरथी देवी	मागरथी देवी
26-	निदाम गुरंग	निदाम गुरंग
27-	सन्तोष गुरंग	सन्तोष गुरंग
28-	रश्मि खन्का	RASHMI
29-	पूनाम खन्का	पूनाम खन्का
30-	दिपा खन्का	Diya Khanka

सम्पन्न ललित खन्का
ग्राम पंचायत
खडगाँव

पूनाम खन्का
हQ/ग्राम पंचायत-खर्कदोली
ग्राम प्रधान
वि.स. पूनाम, पिथौरागढ़

परियोजना का नाम - माननीय मुख्य मंत्री घोषणा सं० 1710/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत लछैर से कटियानी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम दोली उर्फ खूँ के दोली (सैटीगांव)

तहसील पिथौरागढ़, जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में माननीय मुख्य मंत्री घोषणा सं० 1710/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत लछैर से कटियानी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि 5.60 हे० सिविल सोयम भूमि शून्य हे०, वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 5.60 हे० वन भूमि का प्रा० ख० लो० नि० वि० पिथौरागढ़ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दोली उर्फ खूँ के दोली द्वारा दिनांक 30.1.19 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सैटीगांव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रा० ख० लो० नि० वि० पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ललित (वर्णक)
वन पंचायत
साडगाँव

L. Khanka

पूजा देवी
ग्राम प्रधान
ग्राम प्रधान/सरपंच
दोली उर्फ खूँ के दोली
मुहर सहित
क्षेत्र मूनाकोट, पिथौरागढ़

प्रारूप-30.4

दिनांक 30-1-19 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत रवाक देवा (स्पेटीगांव)

[illegible]

महिला वनकर्ता
वन पंचायत

गाडगाँव

L. Kravanka

पूजा देवी
ग्राम प्रधान
दोली उर्फ खर्क दोली
शेत्र मूनाकोट, पिथौरागढ़

दोली उर्फ खर्क दोली
क्षेत्र मूनाकोट, पिथौरागढ़

परियोजना का नाम – माननीय मुख्य मंत्री घोषणा सं० 1710/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत लछैर से कटियानी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम देवी देवी खंडोली गिराडी
तहसील पिथौरागढ़, जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में माननीय मुख्य मंत्री घोषणा सं० 1710/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत लछैर से कटियानी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि 5.60 हे० सिविल सोयम भूमि शून्य हे०, वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 5.60 हे० वन भूमि का **प्रा० ख० लो० नि० वि० पिथौरागढ़** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत देवी देवी खंडोली द्वारा दिनांक 30-1-19 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गिराडी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **प्रा० ख० लो० नि० वि० पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह० / –
ग्राम सचिव
मुहर सहित

मल्लिक नन्दन
वन पंचायत
गाडगाँव

L. Khanka

पूजा देवी
ग्राम प्रधान
ग्राम प्रधान / सरपंच
देवी देवी खंडोली
मुहर सहित
क्षेत्र मुनाकांडा पिथौरागढ़

प्रारूप-30.4

दिनांक 30-1-19 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत शक दोली (गिराडी)

[illegible]

जलिर (वनक)
 वन पंचायत
 गाडगाँव
 L. Khan Ka

पूजा देवी
प्रमोद प्रधान
दोली अर्चक दोली
क्षेत्र मुनाकोट, पिथौरागढ़

परियोजना का नाम – माननीय मुख्य मंत्री घोषणा सं० 1710/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत लछैर से कटियानी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम देवली 345 295 6/1 गाडगांव
तहसील पिथौरागढ़, जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में माननीय मुख्य मंत्री घोषणा सं० 1710/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत लछैर से कटियानी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि 5.60 हे० सिविल सोयम भूमि शून्य हे०, वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 5.60 हे० वन भूमि का **प्रा० ख० लो० नि० वि० पिथौरागढ़** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत देवली 345 295 6/1 द्वारा दिनांक 2.8.17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गाडगांव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **प्रा० ख० लो० नि० वि० पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ह०/-
ग्राम सचिव
मुहर सहित


सरपंच
ग्राम पंचायत चिराली
वि०ख०-मूनाकोट (पिथौरागढ़)


ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत चिराली
वि०ख०-मूनाकोट (पिथौरागढ़)
ह०/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारूप-30.4

दिनांक 30-1-19 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत खर्कगोला (गाउगांव)

[illegible]

सरपंच
ग्राम पंचायत चिराली
बि०ख०—मूनाकोट (पिथौ०)

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत चिराली
हो-
वि०ख०-मुनाकोट (पिथौ०)
ग्राम प्रधान

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम – माननीय मुख्य मंत्री घोषणा सं० 1710/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत लछैर से कटियानी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नामदेवली 30 खंड देवली (पटकेश्वर).....

तहसील पिथौरागढ़, जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में माननीय मुख्य मंत्री घोषणा सं० 1710/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत लछैर से कटियानी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि 5.60 हे० सिविल सोयम भूमि शून्य हे०, वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 5.60 हे० वन भूमि का **प्रा० ख० लो० नि० वि० पिथौरागढ़** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत देवली 30 खंड देवली द्वारा दिनांक 30-1-19 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पटकेश्वर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **प्रा० ख० लो० नि० वि० पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह० अमर
ग्राम सचिव
मुहर सहित
पिथौरागढ़

सरपंच
ग्राम पंचायत चिराली
बि० ख०-मूनाकोट (पिथ०)

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत चिराली
बि० ख०-मूनाकोट (पिथ०)
ह० / -
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारूप-30.4

दिनांक 30-1-19 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत खर्क कीर्ती (परकेश्वर)

[illegible]

ग्राम पंचायत चिराली
वि०ख०-मूनाकोट (पिपथी)

ह0 / -
ग्राम प्रधान
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत चिराली
नि०ख०-मूनाकोट (पिथौरा)

परियोजना का नाम - माननीय मुख्य मंत्री घोषणा सं० 1710/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत लछैर से कटियानी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम दोली 3 वीं खंड (बसरखेत)
तहसील पिथौरागढ़, जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में माननीय मुख्य मंत्री घोषणा सं० 1710/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत लछैर से कटियानी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि 5.60 हे० सिविल सोयम भूमि शून्य हे०, वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 5.60 हे० वन भूमि का प्रा० ख० लो० नि० वि० पिथौरागढ़ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत 20.05.2019 द्वारा दिनांक 20.05.19 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बसरखेत के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रा० ख० लो० नि० वि० पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव
मुहर सहित

पिथौरागढ़
वन पंचायत
गाडगाँव

प्रजा देवी
ग्राम प्रधान
ग्राम प्रधान / सचिव
दोली मुहुर सहित
क्षेत्र मुनाकोट, पिथौरागढ़

L. Khanka

प्रारूप-30.4

दिनांक 30-1-19 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत खोखोली (बसखेत)

[illegible]

ମାସିନି କାଗଜ

वन पंचायत

गाडगाँव

L. Rhodizka

पुणे

बोली उर्फ रक बोली

क्षेत्र मुन्नाकोट, मिर्जापुर

परियोजना का नाम - माननीय मुख्य मंत्री घोषणा सं० 1710/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडिहाट के अन्तर्गत लछैर से कटियानी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम खकदोली (सैराइ, मूनाकोट)
तहसील पिथौरागढ़, जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में माननीय मुख्य मंत्री घोषणा सं० 1710/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडिहाट के अन्तर्गत लछैर से कटियानी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि 5.60 हे० सिविल सोयम भूमि शून्य हे०, वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 5.60 हे० वन भूमि का प्रा० ख० लो० नि० वि० पिथौरागढ़ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खकदोली द्वारा दिनांक 30-01-19 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सैराइ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रा० ख० लो० नि० वि० पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम सचिव
मुहर सहित


सरपंच
ग्राम पंचायत चिराली
वि०ख०-मूनाकोट (पिथौ०)


ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत चिराली
वि०ख०-मूनाकोट (पिथौ०)

ह०/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारूप-30.4

दिनांक 30/01/19 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत खर्कदौली (सैराइने मणकोट)

[illegible]

सरपंच
ग्राम पंचायत चिराली
वि०ख०-मूनाकोट (पिथौर)

ह0/-
ग्राम प्रधान

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत चिराली
वि०ख०-मूनाकोट (पिथो०)